न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 12/2018
RCMS Reg. 2018/00040

विकास अधिकारी, पंचायत समिति बागीदौरा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
–प्रार्थी निगरानीगर्ता

बनाम

1. श्री ताजेंग पिता मेगा निवासी बागीदौरा, तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.)।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत बागीदौरा पंचायत समिति बागीदौरा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.)।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित

श्री योगेश सोमपुरा, अभिभाषक,
–प्रार्थी निगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 20–12–2019

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम पंचायत बागीदौरा ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1956 की धारा 157 के तहत आबादी भूमि में से अप्रार्थी नं. 1 का 1350 वर्गफिट भूमि का पट्टा जारी किया है वह विधि विरूद्व होने के कारण पंचायत समिति बागीदौरा की स्थापना व प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 30.01.2018 के द्वारा पट्टा निरस्त करने के लिये विकास अधिकारी, बागीदौरा ने पट्टा निरस्त करने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरीये समन तलब किया गया।

2 प्रार्थी निगरानीकर्ता का कथन है कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 157 (1) के तहत 50 वर्ष से अधिक का पुराना घर बना होने एवं कब्जा होने की

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

साक्ष्य पर पट्टा जारी किया जाता है लेकिन इसमे ऐसा नही हुआ है। धारा 140 मे आबादी को परिभाषित किया है एवं पट्टा जारी करने की प्रक्रिया धारा 140 से 155 तक मे निर्धारित की गई है। धारा 156 (2) अनुसार डीएलसी दर से राशि लेने का प्रावधान होने के बाजवूद ऐसा न कर भू–खण्ड का पट्टा दे दिया है जो विधि विरूद्व एवं गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि पंचायत के अंकेक्षण वर्ष 2008–09 से 2009–10 मे भी पंचायत नियमों की अनदेखी कर पट्टा जारी करने को विधि विरूद्व एवं प्रावधानो की अवहेलना होना बताया है।

3 इस प्रकार ग्राम पंचायत बागीदौरा द्वारा विधि विरूद्व, गैरकानूनी एवं विधिक प्रक्रिया की पालना न कर, डीएलसी दर से राशि वसूल न कर अप्रार्थी सं. 1 को पट्टा जारी किया गया है, जिसे निरस्त करने निवेदन किया।

4 प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से दिनांक 28.11.2019 को अंकेक्षण विभाग की रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

5 अप्रार्थी सं. 1 का नोटिस अदम तामील प्राप्त हुआ जिसमें इस नाम का कोई व्यक्ति बागीदौरा में नही होना बताया।

6 अप्रार्थी सं. 2 को नोटिस तामील हुआ, लेकिन न तो अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ, न उसकी ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित हुआ एवं न ही इस संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत किया, फलस्वरूप अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया जाकर बहस सुनी गई।

7 हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अंकित निवास स्थान के पते पर अप्रार्थी सं. 1 का नोटिस अदम तामील प्राप्त होने पर इस स्थिति पर कोई आदेश पारीत करना हम उचित नही समझते है एवं निगरानी को प्रतिप्रेषित करना उचित है।

8 अतः विकास अधिकारी बागीदौरा को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पट्टेदार का सही निवास स्थान/पते की जानकारी प्राप्त कर नये सिरे से निगरानी प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 20–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.01.06 12:05:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: